वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग–4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा कांकेर मंडल अंतर्गत परिक्षेत्र चारामा के नारंगी वन खण्ड तेलगरा कक्ष क्रमांक ओ.ए 1461 में 30.529 हे. वन भूमि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के निर्माण के लिये गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त के अभिमत से सहमत होते हुए व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांकः 23/01/2020
स्थानः अटल नगर, नवा रायपुर

(राकेश चतुर्वेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़

Form -4 (Vividh) 2019 (1)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स्, अटल नगर, नवा रायपुर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/विविध/115–850/135 रायपुर, दिनांक 23/01/2020

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
अटल नगर, रायपुर

विषय: – **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservaction Act, 1980 Proposed for Govt. Medical College in Kanker division of Kanker Distt. in Chhattisgarh State, area- 30.529 ha.**
पंजीयन कमांक–FP/CG/Other/43957/2020

संदर्भ: – मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त का पत्र क्रमांक/ मा. चि./ न. क्र.–141/ 2020/182 दिनांक 22.01.2020

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर द्वारा निर्धारित प्रपत्र–3 में अनुशंसा उपरांत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोड़ल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेकलिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार है:–

बि.क्र. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 01) – आवेदनकर्ता, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उत्तर बस्तर कांकेर में शासकीय चिकित्सालय एवं चिकित्सा महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु कांकेर वनमंडल के चारामा परिक्षेत्र के नारंगी वन खण्ड तेलगरा के कक्ष क्रमांक ओ.ए. 1461 के रकबा 30.529 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।

बि.क्र. 2. प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 02 से 04 तक) – वन मंडलाधिकारी कांकेर द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक – FP/ CG/ **Other/43957/2020** आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 20.01.2020 के आधार पर की जाती है। आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क कुल रू. 24,000/– जमा कराया गया है।

बि.क्र. 3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 05) – कांकेर वनमंडल के चारामा परिक्षेत्र के नारंगी वन खण्ड तेलगरा के कक्ष क्रमांक ओ.ए. 1461 के रकबा 30.529 हे0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन किया जाना है जिस वन भूमि का साईट क्वालिटी IVA है और घनत्व 0.4 से कम है।

बि.क्र. 4. गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 06) – प्रस्तावित क्षेत्र नारंगी वन क्षेत्र में है। अतः गैर वन क्षेत्र निरंकहै।

बि.क्र. 5. प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1: 50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 7 से 8) – प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है। मानचित्र का टोपोशीट क्रमांक 64 **H/7** है। जिस पर आवेदित वन क्षेत्र को सुपर इम्पोज कर दर्शित किया गया है। मानचित्र वन मंडलाधिकारी, कांकेर द्वारा सत्यापित है।

बि.क्र. 6. वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 09 एवं 10) – वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है।

बि.क्र. 7. प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ 11 से 19) – प्रपत्र – 4 में परियोजना की प्रशासकीय लागत 325 करोड़ रू. बतायी गई है। साथ ही वन भूमि के लिये बिन्दु 4 / VII लैण्ड यूज प्लान भी दर्शित किया गया है। यूजर एजेंसी ने कथन किया गया है कि उद्देश्यों की पूति में सभी विकल्पो का परीक्षण कर लिया गया है तथा प्रस्ताव में न्यूनतम वन क्षेत्र की मांग की गयी है। पृष्ठ क्रमांक 18 एवं 19 पर आवेदित क्षेत्र में पाये जाने वाले जंतुओं, पक्षियों, सरीसृपो, वृक्षों, झाड़ियों, परजीवी पौधे तथा घास के नाम एवं वैज्ञानिक नाम दिये गये है।

बि.क्र. 8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 20) – एक पृष्ठीय टीप यूजर एजेंसी द्वारा दी गई है जिसमें उन्होंने कथन किया है कि जिला उत्तर बस्तर कांकेर बस्तर संभाग में है तथा वर्तमान में सबसे नजदीक के चिकित्सा महाविद्यालय 140 कि.मी की दूरी पर है। वर्तमान में यदि कांकेर में चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण होता है तो इसका लाभ लगभग 40 लाख अनुसूचित जनजातीय बाहुल्य जनता को मिलेगा ।

बि.क्र. 9. वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 21) – यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 10. न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 22) – यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है जो वन मंडलाधिकारी, कांकेर वन मंडल द्वारा भी हस्ताक्षरित है।

बि.क्र. 11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 23) – यूजर एजेंसी का कथन है कि **पर्यावरण स्वीकृति** प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। कार्यालयीन टीप यह है कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में) (प्रस्ताव पृष्ठ 24 एवं 27) – आवेदित क्षेत्र में 1981–82 में बांस रोपण किया गया है। वर्तमान में 3951 बांस भिर्रा एवं 794 वृक्ष मौजूद है जिनका विदोहन किया जाना प्रस्तावित है।

बि.क्र. 13. कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 28 से 31) – कास्ट बेनिफिट एनालिसिस संलग्न है। सकल हानि 1.77 करोड़ रू. आंकलित की गई है परंतु प्रस्ताव का सामाजिक कल्याण का स्वरूप होने के कारण और व्यवसायिक स्वरूप न होने के कारण प्रस्ताव से होने वाले लाभ को रूपये के इकाई में बताया जाना संभव नहीं है – इस आशय का कथन वन मंडलाधिकारी कांकेर द्वारा किया गया है जिसे मान्य किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

बि.क्र. 14. – चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – राजस्व वन क्षेत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 32 तक) – प्रस्ताव में आवेदित क्षेत्र में कोई गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि शामिल नहीं है।

बि.क्र. 15. गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 33) – लागू नहीं।

बि.क्र. 16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 34 से 48 तक) – आवेदित वन भूमि 30.529 हे. के एवज में दुगुने बिगड़े नारंगी वन क्षेत्र 61.058 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का कार्य किया जाना है जिसका विवरण निम्नानुसार है –

वृक्षारोपण क्षेत्र	वनमण्डल	परिक्षेत्र	वनखण्ड	वनक्षेत्र	वृक्षारोपण योग्य रकबा	कितना पौधा लगायेंगे (नग में)	अनुमानित व्यय (लाख में)
साइट – 01	कांकेर	चारामा	जेपरा	नारंगी क्षेत्र 1454	17.258	18984	125.42
साइट – 02	कांकेर	चारामा	कोटेला	नारंगी क्षेत्र 1459	11.325	12458	82.31
साइट – 03	कांकेर	चारामा	पेलवा	नारंगी क्षेत्र 1439	13.000	14300	94.48
साइट – 04	कांकेर	चारामा	किशनपुरी	नारंगी क्षेत्र 1533	17.000	18700	123.55
साइट – 05	कांकेर	चारामा	चपेली	नारंगी क्षेत्र 1520	2.475	2723	17.99
				योग :–	**61.058**	**67164**	**443.75**

उपरोक्त वृक्षारोपण क्षेत्रों वृक्षारोपण योग्य होने संबंधी स्थल उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्ताव पृष्ठ 48 पर है जो वन मंडलाधिकारी कांकेर द्वारा सत्यापित है। उपरोक्त वृक्षारोपण क्षेत्रों में वृक्षारोपण किये जाने के लिये कलेक्टर उत्तर बस्तर कांकेर ने पत्र क्रमांक 22/रीडर/ 2020 दिनांक 20.01.2020 द्वारा अनापत्ति दी है। सर्वे ऑफ इंडिया की टोपोशीट पर इन वृक्षारोपण क्षेत्रों के जियो रिफरेन्स्ड नक्शें प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 36 से 40 पर है तथा गुगल अर्थ पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र की 5 साईट क्रमशः प्रस्ताव पृ. 41 से 45 पर दर्शित है जो डीजीपीएस तकनीक का इस्तेमाल कर बनायी गई है।

बि.क्र. 17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 48) – वन मंडलाधिकारी कांकेर द्वारा हस्ताक्षरित वृक्षारोपण क्षेत्र का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 18. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 49) – वन मंडलाधिकारी कांकेर के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

बि.क्र. 19. अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 50) – निरंक।

बि.क्र. 20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 51) – निरंक।

बि.क्र. 21. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 52 एवं 53) – वृक्षारोपण किये जाने के बारे में मुख्य सचिव के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कलेक्टर उत्तर बस्तर कांकेर ने यह अवगत कराया है कि आवेदित क्षेत्र के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण करने के लिये समतुल्य राजस्व भूमि कांकेर जिले में उपलब्ध नहीं है।

बि.क्र. 22. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 54) – प्रस्ताव पृष्ठ 54 अनुसार कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता नहीं है। वन मंडलाधिकारी कांकेर एवं आवेदक विभाग का संयुक्त कथन संलग्न है।

बि.क्र. 23. रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 55) – प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण पृष्ठ 55 अनुसार रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 24. माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 56) – प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण पृष्ठ 56 अनुसार माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 25. व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 57) – प्रस्ताव पृष्ठ 57 अनुसार किसी को उक्त क्षेत्र में से हटाया नहीं गया है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 26. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 58 से 73) – भाग–2 पर वन मंडलाधिकारी कांकेर द्वारा दिनांक 20.01.2020 को पुनरीक्षित स्थल निरीक्षण (प्रस्ताव पृष्ठ 68 से 70) के उपरांत प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वन मंडलाधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार साईट क्वालिटी IVA तथा वनो का घनत्व 0.4 से कम है। आवेदित क्षेत्रो में वृक्षो के विवरण के विरूद्ध 794 वृक्ष एवं 3951 बांस भिर्रा दर्शाये गये है। प्रस्तावित वन क्षेत्र किसी राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य की सीमा से 10 कि.मी की दूरी में स्थित नहीं है एवं प्रस्तावित वन क्षेत्र में वन संरक्षण अधिनियम का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। प्रस्तावित वन भूमि परियोजना के लिये अपरिहार्य एवं न्यूनतम है ऐसा स्थल निरीक्षण प्रमाण पत्र में उल्लेख किया गया है। भाग–3 पर मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त द्वारा वन मंडलाधिकारी कांकेर के सुझाव से सहमत होते हुए प्रस्ताव की अनुशंसा की गई है।

बि.क्र. 27. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 74 एवं 75) – प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का स्थल नहीं है जिससे संबंधित वन मंडलाधिकारी कांकेर एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 76 एवं 77) – प्रस्तावित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत तेलगरा का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 29. जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 78) – कांकेर जिले की कुल वन भूमि 70527.29 हे. है।

बि.क्र. 30. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 79) – प्रस्ताव पृष्ठ 79 पर स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि का विवरण संलग्न है। कांकेर वन मंडल के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत कुल 126.569 हे. वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरणों में प्रभावित हुई है।

बि.क्र. 31. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 80) – निरंक।

बि.क्र. 32. प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 81) – वन मंडलाधिकारी एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 33. 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव पृष्ठ 82) – खनन प्रकरण नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 34. वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 83 से 84) – आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र दिनांक 20.01.2020 जारी किया गया है। वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न है। ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति तथा अनुमंडल स्तरीय वन अधिकारी समिति का ठहराव प्रस्ताव प्रथम चरण की स्वीकृति के उपरांत दिया जावेगा। वर्तमान में भारत सरकार ने यह छूट दी है कि वन संरक्षण अधिनियम के प्रस्तावों में कलेक्टर द्वारा जारी होने वाला वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र प्रथम चरण की स्वीकृति के उपरांत भी दिया जा सकता है।

बि.क्र. 35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 85) – प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि शामिल नहीं है।

बि.क्र. 36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 86) – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 37. Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance (प्रस्ताव पृष्ठ 87) – कैम्पा मद में जमा होने वाली राशि आवेदक विभाग से द्वितीय चरण की स्वीकृति के पूर्व वसूल की जायेगी।

बि.क्र. 38. A detailed note on Soil Productivity or the lack of it **(प्रस्ताव पृष्ठ 88)** – प्रस्तावित स्थल में समाकृति लगभग समतल, भौमिकी आर्कियन तथा मृदा रेतीली है। पुनरूत्पादन की संभाव्यता के आधार पर पर्याप्त गुणवत्ता की नहीं है।

बि.क्र. 39. परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 89) – वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया है ऐसा प्रमाण पत्र यूजर एजेंसी एवं वन मंडलाधिकारी कांकेर के द्वारा दिया गया है ।

बि.क्र. 40. Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 **(प्रस्ताव पृष्ठ 90)** — केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 41. पंजीयन क्रमांक — पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 91) — बिन्दु क्रमांक 2 अनुसार विवरण पुनः दिया गया है।

बि.क्र. 42. वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 92) — वन मंडलाधिकारी, कांकेर द्वारा वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुशंसा की गई है। यह खनन प्रकरण नहीं है तथा 10 कि.मी की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्य, हाथी कोरीडोर भी स्थित नहीं है। अतः अभिमत संलग्न नहीं है। वन मंडलाधिकारी कांकेर के अनुसार अभित की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 43. विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 93) — लागू नहीं।

बि.क्र. 44. प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 94) — डीजीपीएस सर्वे किया जा चुका है तथा आवेदित एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र की वेब पर केएमएल फाईल अपलोड की गई है।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग–4 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 3 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः— 1. संदर्भित पत्र की छाया प्रति
2. भाग–4
3. टाईम लाईन

(प्र.मु.व.संरक्षक द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़